JEEViKA
An Initiative of Government of Bihar for Poverty Alleviation
Bihar Rural Livelihoods Promotion Society
State Rural Livelihoods Mission, Bihar
1st Floor, Vidyut Bhawan-II, Bailey Road, Patna - 800 021; Ph. : +91-612-250 4980; Fax : +91-612-250-4960; e-mail : info@brlp.in; Website : www.brlp.in

समुदाय आधारित संगठनों एवं कैडर के एकरारनामा हेतु मार्गदर्शिका

परिशिष्ट (Addendum)

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति द्वारा त्रिस्तरीय सामुदायिक संगठन यथा स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संगठन का गठन किया गया है । इसके अलावा जिला स्तर पर प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र भी संचालित किया जा रहा है । इन सामुदायिक संगठनों के सहयोग हेतु अंशकालिक तौर पर कैडर का चयन सामुदाय आधारित संगठनों द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया से किया जाता है । परिवीक्षा अवधि के बाद संबंधित सभी कैडर का संबंधित संगठन के साथ एकरारनामा करना आवश्यक है ।

कार्यालय आदेश BRLPS/Proj-IBCB/17/06/Vol-V/4787 दिनांक 15.03.2019 के अनुसार सामुदायिक उत्प्रेरक (CM), ग्राम संगठन लेखापाल (VO-BK), संकुल स्तरीय संगठन लेखापाल (CLF BK), क्लस्टर फैसिलिटेटर (CF) का संबंधित संगठन के साथ 11 महीना का एकरारनामा किया जाता है ।

सामुदायिक संगठनों में गतिविधियों के क्रियान्वयन की सघनता को देखते हुए सामुदायिक संगठनों एवं सभी कैडरों के बीच 23 महीना का एकरारनामा **(Annexure-I)** किया जाएगा एवं अवधि समाप्त होने के बाद सभी कैडरों की समीक्षा उपरांत संबंधित संगठनों के साथ पुन: एक महीना के अन्दर एकरारनामा करना अनिवार्य होगा ।

संबंधित सामुदायिक संगठनों से सम्बद्ध कैडर जिनका एकरारनामा किया जाएगा :-

क्र.सं.	कैडर का प्रकार	संबंधित सामुदायिक संगठन
1.	सामुदायिक उत्प्रेरक (CM) इत्यादि	ग्राम संगठन
2.	ग्राम संगठन लेखापाल (VO BK), सी.एल.एफ लेखापाल (CLF BK), बैंक मित्र (BM), सी.एल.एफ समन्वयक (CLF Coordinator), क्लस्टर फैसिलिटेटर (CF), एस.जे.वाई एम.आर.पी (SJY MRP), एच.एन.एस एम.आर.पी (HNS MRP), सी.एन.आर.पी (CNRP), रोजगार संसाधन सेवी (JRP), ग्राम संसाधन सेवी (VRP), स्किल एक्सटेंसन वर्कर (SEW) इत्यादि	स्वावलंबी सहकारी समिति/ संकुल स्तरीय संगठन
3.	टी.एल.सी. समन्वयक (TLC Coordinator), प्रशिक्षण फैसिलिटेटर (TF), टी.एल.सी लेखापाल (TLC BK)	प्रशिक्षण एवं शिक्षण स्वावलंबी सहकारी समिति/ प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र

सामुदायिक संगठनों एवं कैडर के बीच एकरारनामा को समय सीमा के अन्दर पूर्ण करना अति आवश्यक है-

क्र.सं.	मुख्य कार्य	समय
1.	एकरारनामा की छपाई **(A4 साइज़, 75 GSM, प्रति कैडर दो प्रति)**	मार्गदर्शिका निर्गत होने तिथि से 10 दिनों के अन्दर
2.	संकुल स्तरीय/ स्वावलंबी सहकारी समिति/ प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र स्तर पर कार्यरत सभी कैडरों के बीच एकरारनामा सुनिश्चित करना	मार्गदर्शिका निर्गत होने तिथि से 30 दिनों के अन्दर
3.	एकरारनामा की एक प्रति सामुदायिक संगठनों के कार्यालय में रखना (संबंधित फाइल) और एक प्रति संबंधित कैडर को उपलब्ध कराना	एकरारनामा होने से 3 दिनों के अन्दर
4.	निर्धारित प्रपत्र में राज्य परियोजना इकाई को प्रेषित करना	एकरारनामा होने की तिथि से 7 दिनों के अन्दर

एकरारनामा की छपाई जिला स्तर पर BTDP (Component 1 A.7- Purchase of Book of Records), NRETP (B 2.2.3- Other Capacity Building), NRLM (B 2.1.3.4- Printing and Stationery) के अंतर्गत किया जायेगा ।

सभी जिला परियोजना प्रबंधकों को निदेशित किया जाता है कि मार्गदर्शिका निर्गत होने की तारीख से एक महीना के अन्दर एकरारनामा सुनिश्चित कर प्रतिवेदन राज्य परियोजना इकाई निर्धारित प्रपत्र **(Annexure-II)** में प्रेषित करें ।

(राहुल कुमार)

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी- सह-राज्य मिशन निदेशक

अनुलग्नक:-

1. एकरारनामा
2. प्रतिवेदन प्रपत्र

प्रतिलिपि :-

1. विशेष कार्य पदाधिकारी/ निदेशक/ मुख्य वित्त पदाधिकारी/ अधिप्राप्ति विशेषज्ञ
2. सभी परियोजना समन्वयक/ राज्य परियोजना प्रबंधक/ राज्य वित्त प्रबंधक/ सहायक वित्त प्रबंधक/ परियोजना प्रबंधक
3. सभी जिला परियोजना प्रबंधक/ विषयगत प्रबंधक/ प्रबंधक क्षमता वर्धन/प्रशिक्षण अधिकारी/ प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक
4. सभी सम्बंधित स्वावलंबी सहकारी समिति/ सी. एल. एफ/ प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र
5. सूचना एवं तकनीकी अनुभाग
6. सम्बंधित संचिका

Annexure-I

एकरारनामा

यह एकरारनामा आज दिनांक .... को .... जीविका महिला ग्राम संगठन/ .... संकुल स्तरीय संगठन/ .... जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लि०/ .... जीविका महिला प्रशिक्षण एवं शिक्षण स्वावलंबी सहकारी समिति लि०/ ....प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र, ग्राम/वार्ड: .... पंचायत: .... थाना: .... जिला: .... **(प्रथम पक्ष)** ।

एवं

श्री/श्रीमती/सुश्री: .... जन्मतिथि: .... पिता/पति/माता: .... पता- ग्राम: .... पंचायत: .... थाना: .... जिला: .... **(द्वित्तीय पक्ष)** के बीच हस्ताक्षरित किया गया ।

इस एकरारनामे के तहत .... जीविका महिला ग्राम संगठन/.................................संकुल स्तरीय संगठन/ ....जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लि०/..........................जीविका महिला प्रशिक्षण एवं शिक्षण स्वावलंबी सहकारी समिति लि०/ प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र के द्वारा श्री/श्रीमती/सुश्री .... की सेवाओं को स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन/ संकुल स्तरीय संगठन/ स्वावलंबी सहकारी समिति/ प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र के सहयोग हेतु निम्नलिखित मान्य बिन्दुओं पर .... (**पद नाम**) के रूप मे अंशकालिक तौर पर .... से .... तक के लिए एकरारनामा किया किया जा रहा है ।

1. यह कि श्री/ श्रीमती/ सुश्री .... को परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद अंशकालिक तौर पर 23 माह के लिए .... (**पद नाम**) पर करार करती है ।
2. यह कि श्री/ श्रीमती/ सुश्री .... को ग्राम संगठन/ संकुल स्तरीय संगठन/ स्वावलंबी सहकारी समिति/ प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र के कार्य क्षेत्र में कार्य करना होगा या आवश्यकतानुसार निर्धारित किया गया कार्यक्षेत्र में कार्य करना होगा ।
3. यह कि ग्राम संगठन/ संकुल स्तरीय संगठन/ स्वावलंबी सहकारी समिति/ प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र/ परियोजना से संबंधित कार्य के लिए कार्यक्षेत्र से बाहर भेजने की स्थिति में यात्रा खर्च (वास्तविक) संबंधित सामुदायिक संगठन/ परियोजना द्वारा देय होगा ।
4. यह कि श्री/ श्रीमती/ सुश्री .... को निर्धारित कैडर नीति/ मार्गदर्शिका तथा उसमें हुए संशोधन के अनुसार निर्धारित कार्य को ससमय पूरा करना है । प्रत्येक माह कार्ययोजना और कार्य प्रगति का प्रतिवेदन संबंधित सामुदायिक संगठन को देना अनिवार्य है ।
5. यह कि मानदेय एवं प्रोत्साहन राशि समीक्षा के उपरांत संबंधित कैडर नीति/ मार्गदर्शिका तथा समय-समय पर उसमें हुए संशोधन के अनुसार देय होगा ।

6. यह कि ग्राम संगठन/ संकुल स्तरीय संगठन/ स्वावलंबी सहकारी समिति/ प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र एक माह के सूचना (नोटिस) में कार्य से विमुक्त कर सकता है या त्यागपत्र देने के लिए ग्राम संगठन/ संकुल स्तरीय संगठन/ स्वावलंबी सहकारी समिति/ प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र को एक माह पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा ।
7. यह कि ग्राम संगठन/ संकुल स्तरीय संगठन/ स्वावलंबी सहकारी समिति/ प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र तत्काल कार्य विमुक्त कर सकता है यदि गैर कानूनी एवं वित्तीय अनियमितता, तथा संगठन/समिति/ प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र के विरुद्ध कार्य में शामिल हो, अपनी जवाबदेही निर्वाह में सक्षम नहीं हो, नियम-कानून का उल्लंघन होता हो, किसी प्रकार के उत्पीडन में शामिल हो या दोषी हो, विश्वास न हो, एवं बिना सूचना के सात दिनों से अधिक अपने कार्य से अनुपस्थित हो ।
8. यह कि यदि पद से विमुक्त किया जाता है या स्वेच्छा से अपना पद त्यागा जाता है एवं यदि पूर्व का उस पर किसी तरह का बकाया है तो वह क्षतिपूर्ति के लिए जवाबदेह होगा, जब तक ग्राम संगठन/ संकुल स्तरीय संगठन/ स्वावलंबी सहकारी समिति/ प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र का निदेशक मंडल संतुष्ट नहीं हो जाता है ।
9. यह कि निर्धारित कार्यो की प्रकृति एवं उद्देश्यों का भलीभांति विचार कर उच्च वृतिक एवं नैतिक दक्षता तथा सत्यनिष्ठा से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे ।
10. यह कि ग्राम संगठन/ संकुल स्तरीय संगठन/ स्वावलंबी सहकारी समिति/ प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र द्वारा श्री/ श्रीमती/ सुश्री .... की सेवाओं को करार समाप्ति के पूर्व ही मूल्यांकन कर मानदेय एवं कार्य करार सम्बंधित सभी निर्णय लेने का अधिकार होगा ।
11. किसी प्रकार का शिकायत का निदान/ निवारण सामुदायिक शिकायत निवारण पद्धति के माध्यम से होगा ।
12. यह कि श्री /श्रीमती/सुश्री ...., **(द्वित्तीय पक्ष)** ने इस करार को पढ़ कर अच्छी तरह से समझ लिया है एवं उसके पश्चात् ही हस्ताक्षर किया गया है ।

हस्ताक्षर एवं दिनांक (द्वित्तीय पक्ष)

....

हस्ताक्षर (मुहर सहित) एवं दिनांक (प्रथम पक्ष)

....
अध्यक्ष **सचिव**

गवाह
हस्ताक्षर एवं दिनांक

1. नाम: -

2. नाम: -

गवाह
हस्ताक्षर एवं दिनांक

1. नाम :-

2. नाम :-

Annexure-II

प्रतिवेदन

क्र.सं.	जिला का नाम	कार्यरत कुल कैडरों की संख्या	हस्ताक्षरित एकरारनामा एवं दस्तावेजीकरण (संख्या)
1.	अररिया		
2.	अरवल		
3.	औरंगाबाद		
4.	कटिहार		
5.	किशनगंज		
6.	कैमूर		
7.	खगड़िया		
8.	गया		
9.	गोपालगंज		
10.	जमुई		
11.	जहानाबाद		
12.	दरभंगा		
13.	नालंदा		
14.	नवादा		
15.	पटना		
16.	पश्चिमी चंपारण		
17.	पूर्वी चंपारण		
18.	पूर्णिया		
19.	बक्सर		
20.	बांका		
21.	बेगुसराय		
22.	भागलपुर		
23.	भोजपुर		
24.	मधेपुरा		
25.	मधुबनी		
26.	मुंगेर		
27.	मुजफ्फरपुर		
28.	रोहतास		
29.	लखीसराय		
30.	वैशाली		
31.	शिवहर		
32.	शेखपुरा		
33.	सहरसा		
34.	समस्तीपुर		
35.	सारण		
36.	सीतामढ़ी		
37.	सीवान		
38.	सुपौल		
	कुल		